



55

राज्यपाल मानवीय राज्य गण्डन मण्डल, ग्वालियर ।

पुकरण क्रमांक /2018 निगरानी शु.श.पुर

III/गिरानी/शु.श.पुर/शु.श./2018/1350

- 1- वन्देदीप पुत्र कुन्दनलाल डाबडा , आयु 58 वर्ष , व्यवसाय कृषि
- 2- अमनदोष पुत्र वन्देदीप व्यवसाय काश्तकारी निवासीगाम तरारो खुर्द, तहो कराडल जिला शु.श.पुर मण्डल

---आवेदकगण

इनाम

- 1- रामपती पत्नि रघुवीर ,जाति मीणा निवासी गोठरा , तहो कराडल, जिला शु.श.पुर
- 2- काड़ी बेवा रामरुक्मिणी जाति रावत निवासी ग्राम गोठरा , तहो कराडल, जिला शु.श.पुर मण्डल
- 3- शिवप्रसाद पुत्र प्रभूलाल जाति रावत
- 4- सुगीष पुत्र प्रभूलाल , जाति रावत
- 5- बृजेश पुत्र प्रभूलाल , जाति रावत
- 6- त्रिवेणी देवी पुत्री कुन्दीलाल
- 7- मिश्रीदेवी पुत्री कुन्दीलाल
- 8- रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
- 9- गायत्री पुत्री हरिप्रसाद
- 10- गिरधर गोपाल पुत्र हरिप्रसाद निवासीगाम ग्राम गोठरा , तहो कराडल , जिला शु.श.पुर मण्डल

शु.श.क.व.पाठेय, रुष्टी.  
 द्वारा आज दि. 22/2/18  
 प्रस्तुत प्रमाणिक तर्क के  
 दिनांक 6/3/18 निश्चल।  
 राजस्थान गण्डन, ग्वालियर

जायस प्राप्त  
 दि. 22/2/18  
 उपस्थित व नाम

3

— 2 —

11211

॥ 11 ॥ - पिस्ताबाई पत्नी सुरेश

निवासी जाखदा, तहसील कराहल, जिला

श्यापुर ॥ म० प्र० ॥

॥ 12 ॥ - तन्तोष पत्नी दिलावर

निवासी तिलपुरी, तहसील कराहल,

जिला श्यापुर ॥ म० प्र० ॥

॥ 13 ॥ - लिख पुत्र चेतू

निवासी जाखदा, तहसील कराहल,

जिला श्यापुर ॥ म० प्र० ॥

॥ 14 ॥ - म० प्र० शासन

----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भूराजस्व संहिता 1959,

लिख आदेशा दिनांक 29-8-2017 को अपर कलेक्टर जिला श्यापुर

॥ म० प्र० ॥ द्वारा प्र० सं० 10/12-13 एवं निगरानी में पारित

किया ।

-----00-----

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2018/1350

चन्द्रदीप व अन्य विरुद्ध रामपती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.सी. शर्मा एवं अनावेदक क्र. 14 की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/2012-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-08-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(आर0के0 जैन) सदस्य</p>	